संख्या 29 /2015/ 112 बीपी/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 04 जून, 2015

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण में अनुमोदित 48 पेयजल परियोजनाओं में से वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-38बीपी/35-1-2014 दिनांक 03 मार्च, 2014 के माध्यम से 38 पेयजल परियोजनाओं को रू. 94.77 करोड़ की लागत पर, शासनादेश संख्या-45बीपी/35-1-2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से 09 पेयजल परियोजनाओं को रू. 17.58 करोड़ की लागत पर तथा वर्ष 2014-15 में 01 पेयजल परियोजनाओं को शासनादेश संख्या-295बीपी/35-1-2014 दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के माध्यम से रू. 68.93 करोड़ की लागत पर अर्थात ग्रामीण पेयजल की सभी 48 पेयजल परियोजनाओं को कुल मिलाकर रू. 181.28 करोड़ की लागत पर कतिपय शर्तों के साथ प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या: 38बीपी/35-1-2014 दिनांक 03 मार्च, 2014 के माध्यम से 38 पेयजल परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू. 25.59 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-45बीपी/35-1-2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से 09 पेयजल परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू. 4.74 करोड़ अर्थात कुल मिलाकर रू. 30.33 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का व्यय किया गया। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या: 213बीपी/35-1-2014 दिनांक 14 अगस्त, 2014 के माध्यम से 46 पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु रू. 50.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-295बीपी/35-1-2014 दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के माध्यम से 01 पेयजल परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू. 24.62 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई अर्थात वर्ष 2014-15 में पेयजल परियोजनाओं के लिये कुल मिलाकर रू. 74.62 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि व्यय की गई। इस प्रकार वर्ष 2014-15 तक पेयजल परियोजनाओं पर कुल मिलाकर रू. 104.95 करोड़ की धनराशि व्यय हुई है। एतद् द्वारा पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु पूर्व में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए वर्ष 2015-16 में विभागीय आवश्यकता के अनुरूप संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार उनके सामने इंगित धनराशि, जिसका कुल योग रू. 40.00 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ मात्र) होता है, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी और धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध कराई जायेगी।
3- कार्यों को मानको के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून 2016 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- प्रश्नगत परियोजनाओं पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के अनुदान संख्या 40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- 4575 -अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-77-ग्रामीण पेयजल योजना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 29/2015/112 बीपी(1)/35-1-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग ।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7-मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।
8-जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10- कोषाधिकरी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
11-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
12-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या:29/2015/112 बीपी/35-1-2015 दिनांक 04 जून,2015 का संलग्नक।

(करोड़ रू. में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
1	बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम पेयजल योजना	3.98	0.90
2	सबादा ग्राम पेयजल योजना	3.91	0.85
3	सदीमैदानपुर ग्राम पेयजल योजना	2.64	0.00
4	महुआ ग्राम पेयजल योजना	2.49	0.00
5	इंगुवा ग्राम पेयजल योजना	4.01	0.93
6	जारी ग्राम पेयजल योजना	4.00	0.92
7	कनवारा ग्राम पेयजल योजना	6.42	2.69
8	पंचनेही ग्राम पेयजल योजना	3.31	0.00
9	मऊ ग्राम पेयजल योजना	6.61	2.83
10	सुलखना ग्राम पेयजल योजना	1.37	0.00
11	बजीदा ग्राम पेयजल योजना	1.21	0.00
12	जैसारीकलांa ग्राम पेयजल योजना	1.27	0.00
13	खरका ग्राम पेयजल योजना	1.27	0.00
14	बरसार(पुनर्गठन) ग्राम पेयजल योजना	1.48	0.00
15	बरखेरा ग्राम पेयजल योजना	0.90	0.00
16	गलौलीमुस्तकिल ग्राम पेयजल योजना	2.15	0.00
17	इटौराबुजौंग टीटीएसपी	0.46	0.00
18	मदहरा टीटीएसपी	0.44	0.00
19	खामा टीटीएसपी	0.45	0.00
20	मझगवॉ टीटीएसपी	0.46	0.00
21	नरेड़ी टीटीएसपी	0.46	0.00
22	भुजपुरा टीटीएसपी	0.45	0.00
23	पठारी टीटीएसपी	0.46	0.00
24	गंज टीटीएसपी	0.46	0.00
25	जेलवाड़ा टीटीएसपी	0.46	0.00
26	रावतपुरखुर्द टीटीएसपी	0.46	0.00
27	पुर्वापनवटी टीटीएसपी	0.46	0.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
28	पछाड़ा टीटीएसपी	0.46	0.00
29	रैपुरा टीटीएसपी	0.45	0.00
30	शाहपहाड़ी टीटीएसपी	0.46	0.00
31	बिहार टीटीएसपी	0.46	0.00
32	उटैन टीटीएसपी	0.46	0.00
33	रावतपुर खालसा टीटीएसपी	0.46	0.00
34	मामना टीटीएसपी	0.46	0.00
35	लेवा टीटीएसपी	0.46	0.00
36	सुरहा टीटीएसपी	3.13	0.00
37	भौरा ग्राम पेयजल योजना	1.41	0.00
38	कपसा ग्राम समूह पेयजल योजना	5.96	2.82
39	खण्डेह ग्राम पेयजल योजना	4.38	1.19
40	सिजवाही ग्राम समूह पेयजल योजना	2.90	0.00
41	बक्छा ग्राम समूह पेयजल योजना	4.91	1.59
42	सिरौलीबुजुर्ग ग्राम पेयजल योजना	3.83	0.80
43	बुधवाली पेयजल योजना	1.12	0.00
44	खेरा ग्राम पेयजल योजना	2.73	0.00
45	ककरूवा ग्राम पेयजल योजना	2.89	0.00
46	आलापुर ग्राम पेयजल योजना	0.78	0.00
47	डोंगराकलॉ ग्राम समूह पेयजल योजना	22.60	16.50
48	जखौरा बिजरौठा ग्राम समूह पेयजल योजना	68.93	7.98
	योग-	**181.28**	**40.00**

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।